प्रकरण संख्या 9/2024 गिरधारी व अन्य बनाम राजेश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के निजी स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 1493/209 रकबा 0.3479 हैक्टर में से 0.056 हैक्टर भूमि यानि 7 बिस्वा भूमि ग्राम छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। आराजी नंबर 1493 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 7 से 12 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 से 6 ने जे. सी.बी. से बाउण्ड्रीवाल तोड़ दी तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 से 6 को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि सर्वे नंबर 1852/206 रकबा 0.3802 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी की होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 7 से 12 का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है, किन्तु वे येनकेन प्रकारेण अतिक्रमण करने पर आमादा हैं। अतः हैं। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 7 से 12 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.09.2024 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नंबर 1493/209 में विपक्षी संख्या 1 से 6 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिसस रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:44 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल बहाव उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादीगण का मूल सर्वे नंबर 200 है। इस संबंध में दिनांक 04.01.2022 को एक शुद्धि पत्र प्रपत्र पी. 27 पटवारी द्वारा भरा गया तथा तहसीलदार द्वारा अनुशंषा की गयी। शुद्धि पत्र अनुसार सर्वे नंबर 1493/209 का पुराने रेकार्ड से जांच करने पर ज्ञात हुआ कि सही नंबर 1493/200 है, जिससे शुद्ध सर्वे नंबर 1493/200 रेकार्ड में दुरस्त किया गया। वादीगण शुद्ध किये जाने के पूर्व के सर्वे नंबर 1493/209 के आधार पर गलत जगह पर आधिपत्य जमा रहे हैं, जो वास्तव में राजकीय भूमि होकर नाला है तथा अपीलान्टगण को परेशान कर रहे है, जिससे उनके द्वारा काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर बहस सुनकर वास्ते आदेश दिनांक 04.09.2024 को नियत थी, किन्तु दिनांक 04.09.2024 को अपीलान्टगण की अनुपस्थिति लिखते हुए खसरा नंबर 1493/209 में अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 6 को किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया, जबकि अपीलान्टगण के काउण्टर प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने अपील के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं वह अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये हैं तथा उक्त दस्तोवज आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे उन्हें रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। वादी/प्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुका है। रेस्पोन्डेन्ट को शुद्धि पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:44 IST
Reason: SelfAttested

की कोई जानकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार आराजी नंबर 209 राजकीय भूमि होकर उसकी किस्म नाला दर्ज है तथा आराजी नंबर 1493/200 रकबा 0.3479 में प्रार्थीगण अर्थात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का क्रमशः 283/3479 हिस्सा दर्ज होकर स्वीकृत नामान्तकरण 5 दिनांक 10.01.2022 शुद्धि पत्र किये जाने का अंकन है। शुद्धि पत्र प्रपत्र 27 अनुसार जमाबन्दी में दर्ज खसरा नंबर 1493/209 के स्थान पर खसरा नंबर 1493/200 दर्ज शुद्ध किये जाने का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण की विधिवत जांच किये आराजी नंबर 1493/209 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की मानते हुए अपीलान्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है तथा अपीलान्टगण के काउण्टर प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 4/2022 निर्णय दिनांक 04.09.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:44 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:44 IST
Reason: SelfAttested